(8)

(8)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1505–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–01–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण क्रमांक 177/अपील/2010–11

.....

सौभागमल पिता कन्हैयालाल पाटनी, व्यवस्थापक
दिगंबर जैन मंदिर तारापुर निवासी जावद
जिला नीमच

..... आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,
जिला नीमच

.....अनावेदक

.....

श्री प्रताप मेहता, अभिभाषक, आवेदक
अनावेदक शासन – एकपक्षीय

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/9/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–01–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी जावद द्वारा संहिता की धारा 57 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 1/अ–1/2001–02 श्रीमती शांतिबाई पति स्व0चॉदमल गांधी निवासी जावद हालमुकाम उदयपुरा एवं श्री 1008 मूर्ति श्री आदिनाथ भगवान आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर तराना व्यवस्थापक सौभागमल पिता कन्हैयालाल पाटनी निवासी जावद विरूद्ध शासन में पारित आदेश दिनांक 31–3–2009 द्वारा जावद स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 948 रकबा 0.157 हैक्टर जो पटवारी अभिलेखों में वर्ष 1996 से धर्मशाला नजूल अंकित था उसे नजूल के नाम से कर श्री 1008 मूर्ति श्री आदिनाथ भगवान, आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर तारापुर व्यवस्थापक श्री सौभागमल पिता कन्हैयालाल पाटनी निवासी जावद के नाम राजस्व

अभिलेख में अंकित करने का आदेश पारित किया गया जिसके पालन में तहसीलदार जावद पटवारी अभिलेखों में अमल कराया गया । तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वर्ष 1996 से लगातार नजूल अंकित भूमि के मूर्ति मंदिर तथा व्यवस्थापक के नाम की जाना प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से आदेश दिनांक 15–3–2010 द्वारा उक्त प्रकरण का पुर्नविलोकन किये जाने की अनुमति प्रदान करने के लिये प्रकरण कलैक्टर जिला नीमच को प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–3–10 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा अपील अपर आयुक्त न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2012 से अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2012 से दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि संहिता की धारा 51 में स्पष्ट प्रावधान है कि पुनर्विलोकन की अनुमति देने के पूर्व पक्षकारों को सुना जाना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अवैधानिक है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत वर्ष 2000 राजस्व निर्णय पृष्ठ 76 तथा वर्ष 1982 राजस्व निर्णय पृष्ठ 2001 एवं वर्ष 2007 राजस्व निर्णय पृष्ठ 25 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि धारा 51 परन्तुक–1 पुनर्विलोकन विरोधी पक्षकार को सूचना के द्वारा पुनर्विलोकन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं की । पुनर्विलोकन का आदेश अवैध है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन न्यायदृष्टांतों पर गौर किये बिना जो आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी जावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2009 को पुनर्विलोकन में लेने की अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही एक वर्ष बाद की गई जबकि पुनर्विलोकन में लेने की समयावधि 90 दिवस है । एक वर्ष बाद जो पुनर्विलोकन की अनुमति का आदेश पारित किया गया हे वे अवैध है । तर्क में यह भी बताया कि वर्ष 2007 राजस्व निर्णय पृष्ठ 77 में यह स्पष्ट प्रतिपादित किया गया है कि धारा 51 स्वप्रेरणा से पुर्नविलोकन की शक्ति युक्तियुक्त समय के भीतर प्रयोग किया गया जाना चाहिये। धारा 51 परन्तुक–1 पुनर्विलोकन के लिये मण्डल अथवा किसी अन्य राजस्व अधिकारी की स्वीकृति सूचना दूसरे पक्षकार की सुनवाई के बिना प्रदान नहीं की जा सकती । वादग्रस्त भूमि मंदिर की है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 31–3–2009 को जो आदेश पारित किया वह

आदेश वैधानिक आदेश है । भूमि शासन की कभी नहीं रही । इस वैधानिक बिन्दु पर गौर किये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है । वादग्रस्त भूमि में शासन का कोई हित निहित नहीं है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 15–03–2010 द्वारा कलेक्टर से पुनर्विलोकन की की अनुमति चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि शासकीय भूमि को विधि की अवहेलना करके व्यवस्थापन किया गया है, जिसमें शाासन का हित निहित होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला नीमच को प्रेषित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है कि आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त होगा । पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने से आवेदक के हितों पर कोई कुठाराघात नहीं हुआ है । यहॉ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवेदक ने कलेक्टर द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने संबंधी आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है बल्कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का जो आदेश दिनांक 15–03–2010 को दिया है उसे अधीनस्थ न्यायालय में चुनौती दी गई है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है वह उचित, न्यायिक और विधिसम्मत् है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

5/ परिणामस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.